राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः—प.1(22)नविवि / अविप्रा / 2021 जयपुर, दिनांकः 27 JAN 2022

अधिसूचना

यह कि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को उसके अवाप्ति क्षेत्राधिकार में स्थित नगर ग्राम अजमेर थोक मालियान प्रथम की भूमि पर अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मार्टिण्डल ब्रिज से तोपदड़ा वाया पालबिचला में सड़क निर्माण हेतु 2.83 हैक्टेयर, अवाप्ताधीन भूमि (विवरण संलग्न) में आने वाले खातेदारो / हितबद्ध व्यक्तियों के द्वारा सहमति नहीं दिये जाने से, अवाप्त की जाने वाली भूमि की जनहित एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के द्वारा उक्त भूमि को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 एवं इस संबंध में जारी राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत भूमि अर्जित किये जाने का अनुरोध जिला कलेक्टर, अजमेर को पत्रांक 60 दिनांक 19.03.2021 द्वारा किया गया।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण में सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment Study) का निर्धारण कार्य निष्पादन करने का निर्णय लिया गया है। सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर से प्राप्त पत्र क्रमांक अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर / प–9 / सीएओ / पालबिचला / 2020–21 / 2888 दिनांक 29.06.2021 द्वारा प्रस्तावित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में स्थित भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में अवाप्ति का विवरण तथा अवाप्ति की जाने वाली भूमि का विवरण प्राप्त हो चुका है। सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के पत्र दिनांक 29.06.2021 द्वारा प्राप्त उक्त अवाप्ति की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य करवाने हेतु जिला कलक्टर, अजमेर को एतद्द्वारा प्राधिकारी अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर स्वयं के स्तर से अधिनियम के विधिक प्रावधानान्तर्गत या राजस्व

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से किसी एक से उक्त कार्य करवा सकते है। राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के साथ संलग्न प्रारूप 2 के भाग "ए" में अंकित टर्म ऑफ रेफरेंस इस प्रकरण में मानी जावेगी। अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत निर्धारित समय में उक्त कार्य सम्पादित करे, साथ ही उक्त नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप 03 में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-sd-

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी, नविवि।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम